एक नजर में

प्रदेश कार्यालय मंत्री का किया स्वागत

मुलताई। पवित्र नगरी मुलताई में मंगलवार को सुबह 11 बजे अल्प प्रवास पर बैतूल रोड मुलताई पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन का भाजपा कार्यकर्ताओ ने स्वागत किया गया। भाजपा मीडिया प्रभारी रामचरण मालवीय ने बताया कि बैतूल रोड अग्रवाल पेट्रोल पंप के समीप भाजपा जिला उपाध्यक्ष जगदीश पवार के निज निवास स्थान पर भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन के साथ बैतूल के पूर्व विधायक अलकेश आर्य के पहुंचने पर विधायक चंद्रशेखरदेशमुख,भाजपा जिला उपाध्यक्ष जगदीश पवार, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गणेश साहू, नपा अध्यक्ष नीतू पहलाद परमार, वरिष्ठ नेता तुलसीराम बारस्कर, भाजपा नगर मंडल महामंत्री राघवेंद्र रघुवंशी निलेश चावरिया द्वारा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया।

लोक सेवा केंद्र में उखड़ रही फर्श की टाइल्स

मुलताई। नगर के लोक सेवा केंद्र भवन की फर्श पर लगी टाइल्स उखडने लगी हैं, जिससे गिरकर लोग घायल हो रहे हैं, लोक सेवा केंद्र में मरम्मत कराए जाने एवं बंद शौचालय प्रारम्भ किए जाने की मांग को लेकर समाजसेवी अनिल सोनी ने जन सुनवाई में मंगलवार को आवेदन सौपा हैं। ज्ञापन में बताया लोक सेवा केंद्र भवन की फ्लोरिंग की टाइल्स उखड़ने से लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। वहीं भवन में स्थित शौचालय भी बंद पड़ा है। आवेदन में अनिल सोनी ने लोक सेवा भवन में मरम्मत करने एवं बंद शौचालय आवेदको के लिए खोले जाने की मांग की है।

पांच माह बाद खोली मां ताप्ती मंदिर की पेटी

मुलताई। पवित्र नगरी में स्थित मां ताप्ती मंदिर की दानपेटी करीब पांच माह बाद मंगलवार को ट्रस्ट के अध्यक्ष तहसीलदार एवं सदस्यों की उपस्थिति में खोली गई।जिसमे से 5 लाख 82 हजार 7 सौ रुपए के नोट निकले है। वहीं चिल्लर गिनने का कार्य जारी है। बताया जाता है इसके पूर्व दान पेटी माह जनवरी में खोली गईं थी। दानपेटी से राशि की गणना की पूरी प्रक्रिया ट्रस्ट के सदस्यों की मौजूदगी में पारदर्शिता के साथ की जा रही है। दान पेटी से प्राप्त राशि से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाते है । ट्रस्ट ने नकदी की गिनती के लिए सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं,जिससे गिनती अच्छे से संपन्न हो सके। दान पेटी से नकदी के अतिरिक्त,सोने-चांदी के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप ये आभूषण मंदिर में अर्पित किए हैं। इन आभूषणों का अलग से रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है और नियमानुसार उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस दौरान तहसीलदार संजय बरैया, ट्रस्ट के सदस्य प्रशांत भार्गव,राजू पाटनकर,चिंटू खन्ना,अजय यादव, नवनीत चंदेल, सुमित शिवहरे, चंदू देशमुख सहित नपा कर्मचारी मनोज सोनी उपस्थित थे।

जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस का प्रदर्शन आज

बैतूल। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज बुधवार 1 जुलाई को शाहपुर में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में विशाल किसान आंदोलन आयोजित किया जाएगा। जिला युवा कांग्रेस बैतूल के तत्वावधान में होने वाले इस आंदोलन का आह्वान जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस कमलेश यादव ने किया है।

5 महीने में 2933 प्रसव, इसमें 1281 रैफर होकर आई प्रसूताएं

नवभारत न्यूज

बैतूल, 30 जून.ऐं जिला अस्पताल में वैसे ही चिकित्सकों की कमी बनी हुई है, ऊपर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से रैफर होकर आने वाले मरीजों के कारण व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ते जा रही है।

जिला अस्पताल पर बढ़ रहा काम का बोझ

रेफर की वजह से बिगड़ रही अस्पताल की व्यवस्थाएं

खासकर सीएचसी से प्रसूताओं को रैफर करके जिला अस्पताल भेजा रहा है। विगत 5 माह के आंकडों पर नजर डाली जाये तो 5 माह में जिला अस्पताल में कुल 2933 प्रसव हुए, जिसमें से 1281 प्रसूताओं को गंभीर केस बताकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जिला अस्पताल रैफर किया गया है, जबकि जिले के 10 ब्लॉकों में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिलेवरी की सुविधाएं और प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद है, इसके बाद भी प्रसूताओं को रेफर किया जा रहा है। जहां इन प्रसूताओं की नार्मल डिलेवरी हो गई। दरअसल जिला अस्पताल में जिन प्रसूताओं को जटिलता बताकर रेफर किया जा रहा हैं उनमें से कई महिलाओं की नार्मल डिलेवरी होना सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने बीते पांच महीनों के रेफर आंकड़ों का जब अध्ययन किया तो पता चला कि 18 से 20 प्रतिशत प्रसूताओं को जिला अस्पताल रेफर करने के महज तीन घंटे बाद ही नार्मल डिलेवरी हो गई। जबकि इन्हें गंभीर बताकर रेफर किया गया था। इस स्थिति के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका पर ही सवाल उठने लगे हैं।

5 महीने में 2933 प्रसव, 2128 सामान्य : जिला अस्पताल में पिछले पांच माह के भीतर करीब 2933 गर्भवती महिलाओं के प्रसव कराये गये है। इनमें 2128 महिलाओं को सामान्य प्रसव हुए है। जबकि 806 गर्भवती महिलाओं के सीजर से प्रसव किये गये। वहीं 1281 गर्भवती महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से रैफर होकर जिला अस्पताल आई है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में जनवरी में 585, फरवरी 637, मार्च में 620, अप्रैल में 590 और मई माह में 501 डिलेवरी हुई है। जिसमें जनवरी मे 438, फरवरी में 485, मार्च 451, अप्रैल 426 और मई में 328 सामान्य प्रसव कराये गये है। इसके अलावा सीजर से जनवरी 147, फरवरी 152, मार्च 169, अप्रैल 165 और मई में 173 प्रसव सीजर से हुए है। जिला अस्पताल वैसे ही चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में रैफर मरीजों के कारण व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है।

> यह सही है कि काफी डिलेवरी के केस रैफर केस आते है। फिर भी हम व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास करते है। इसके अलावा समय-समय बीएमओ से समीक्षा की जाती है। रैफर की जानकारी भी दी जाती है, ताकि जो कमिया है, उसमें सुधार लाया जा सके।
>
> **- डॉ. जगदीश घोरे,** सिविल सर्जन, जिला अस्पताल बैतूल

5 माह में 1281 प्रसूताएं रैफर होकर आईअस्पताल

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 से मई 2026 तक सभी 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से 1281 प्रसूताओं को जिला अस्पताल रेफर किया है। इसमें जनवरी में 270, फरवरी में 274, मार्च 241, अप्रैल में 231 और मई में 265 प्रसूताओं को को प्रसव के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूताओं की क्रिटिकल कंडीशन बताकर रैफर किया जा रहा है। जिससे कई बार प्रसूताओं की कंडीशन और अधिक खराब हो जाती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाली प्रसूताओं को इन केंद्रों में बेहतर इलाज दिए जाने की सारी सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं। इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

जिला अस्पताल पर बढ़ रहा बोझ

जिला अस्पताल पर वैसे ही पूरे जिले का दायित्व है, ऊपर से प्रसूताओं को रेफर किया जा रहा है, जिसका सीधा असर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधे जिला अस्पताल रैफर कर दिया जाता है। प्रसूता की स्थिति गंभीर बताकर उन्हें रेफर किया जा रहा है। बता दे कि उपस्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिक चिकित्सा तक से ग्रामीण महरूम हैं। कई उपस्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं, जहां पर्याप्त स्टाफ तक नहीं है और जहां हैं, ऐसे केंद्र मनमर्जी से संचालित हो रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में बीएमओ के मौजूद रहने और करोड़ों खर्च करने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं की बत्तर स्थिति यह बताने के लिए काफी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और दूर दराज क्षेत्रों में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र सुविधा के नाम पर सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं और इसका सीधा नुकसान सरकार को हो रहा है।

कबाडी द्वारा किया अतिक्रमण, हटाने की मांग

मुलताई। नगर के आजाद वार्ड में निवास करने वाले कबाडी द्वारा आम रास्ते पर कबाड़ा डालकर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण हटाने की मांग लो लेकर वार्ड वासी ने जन सुनवाई में आवेदन सौपा है। आजाद वार्ड निवासी शब्बीर खान पिता युसुफ खान जाति मुसलमान, उम्र करीब 44 वर्ष निवासी आजाद वार्ड ने जन सुनवाई में सौपे आवेदन में बताया आजाद वार्ड में स्टेट बैंक के पीछे गुड्डू उर्फ नुरूमोहम्मद पिता नुरुलहुदा,राजा उर्फ ताज मोहम्मद पिता नुरूलहुवा एवं मोहम्मद फाजिल पिता नुरूलहुदा द्वारा पुराना सामान कबाड लेकर औने पौने दाम की वस्तु को महंगाई में बेचकर उन्हें स्टोर जमा करते है । आवेदक के घर के सामने सार्वजनिक मार्ग जो कि मोहल्ले में आने जाने लिए बनाया गया है उक्त सार्वजनिक मार्ग पर जबरन कबाड का टूटा फुटा सामान रख लेते है जिससे गंदगी बनी रहती है तथा वहाँ पर गंदगी उत्पन्न होकर उनके द्वारा मार्ग पर उक्त सामानो को रखकर अवरोध उत्पन्न कर देते है जिससे मच्छर,साप,बिच्छु जहरीले जीव जन्तु का डर बना रहता है। वहीं आवागमन में दिक्कत होकर वातावरण दुषित होकर दुर्गंध होती है कई बार मना किया कि आने जाने में सामानों के मार्ग पर रखने से दिक्कत एवं परेशानी होती है।

दान पेटी तोड़कर अज्ञात चोरो ने किया हाथ साफ

मुलताई। नगर में बैतूल रोड पर मंगलवार बाजार क्षेत्र में स्थित साई-हनुमान मंदिर में सोमवार मंगलवार की दरम्यानी रात अज्ञात चोरों ने मंदिर की दानपेटी तोड़कर करीब 70 से 80 हजार रुपए नकद चोरी कर लिए। मंगलवार सुबह जब पुजारी और श्रद्धालुओं मंदिर पहुंचे तो चोरी होने की घटना सामने आई हैं। बताया जाता हैं चोर मंदिर से दानपेटी उठाकर ले गए थे, उक्त दान पेटी मंदिर परिसर में पीपल के पेड़ के पास टूटी हुई मिली, जिसमें केवल सिक्के पड़े थे। चोरों ने पेटी नोट निकालकर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रवासी मंदिर पहुंचे।

बिजली गिरने से एक परिवार के चार लोग झुलसे

चिचोली। ऐंचिचोली तहसील क्षेत्र के ग्राम चुना गोसाई में मंगलवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के चार सदस्य झुलस गए। इस घटना में मकान की टीन की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई।

घायलों को तत्काल चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम सुखदेव यादव (45) के घर पर बिजली गिरी। उस समय घर में सुखदेव यादव, उनकी पत्नी गीताबाई यादव (40), पुत्री संध्या यादव (16) और पुत्र नैतिक यादव (14) मौजूद थे। बिजली गिरने से चारों लोग झटके की चपेट में आ गए।

मुंबई ऋण वसूली अधिकरण सं. II में
(वित्त मंत्रालय)
तीसरी मंजिल, टेलीफोन भवन, स्ट्रैंड रोड कोलाबा, मुंबई - 400005
मूल आवेदन सं. 2025 का 592

प्रदर्श सं. 11

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ...**आवेदक**
बनाम
केतन मिरानी ...**प्रतिवादी**

सम्मन

चूंकि मूल आवेदन (O.A.) सं. 2025 का 592 माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 13.08.2025 को सूचीबद्ध किया गया था.

चूंकि इस माननीय अधिकरण ने अधिनियम की धारा 19 (4) के तहत उक्त आवेदन पर आपके खिलाफ रु. 49,01,192.99/- (रुपये उन्नचास लाख एक हजार एक सौ बानवे और पैसे निन्यानवे केवल) के ऋण की वसूली के लिए सम्मन जारी करने का निर्णय लिया है (दस्तावेजों आदि के साथ आवेदन संलग्न है)

चूंकि सामान्य तरीके से सम्मन की तामील नहीं की जा सकी और माननीय अधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित तामील के लिए आवेदन की अनुमति दे दी गई है.

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आपको, यानी प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

1. सम्मन की तामील के 30 (तीस) दिनों के भीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों न प्रदान की जाए।
2. मूल आवेदन के क्रम संख्या 3(A) के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और आस्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों और आस्तियों का विवरण प्रकट करें.
3. संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन के लंबित रहने और निपटान तक, आपको मूल आवेदन के क्रम संख्या 3(A) के तहत प्रकट की गई सुरक्षित संपत्तियों या ऐसी अन्य संपत्तियों के लेन-देन या निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है.
4. आप अधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना, ऐसी किसी भी संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित नहीं करेंगे, जिस पर सुरक्षा हित बनाया गया है और/या मूल आवेदन के क्रम संख्या 3A के तहत निर्दिष्ट अन्य संपत्तियां और आस्तियां शामिल हैं, सिवाय व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के.
5. व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में सुरक्षित संपत्तियों या अन्य संपत्तियों और आस्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि का हिसाब देने और ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि को सुरक्षा हित रखने वाले वित्तीय संस्थान के बैंक खाते में जमा करने के लिए आप उत्तरदायी होंगे.
6. आपको आवेदक को दी गई एक प्रति के साथ लिखित बयान दाखिल करने और **22/09/2026** को **सुबह 11:00 बजे** डीआरटी- II के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा.

आज दिनांक 9 फरवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुहर के तहत जारी किया गया।

हस्ता/-
रजिस्ट्रार,
डीआरटी- II, मुंबई

सेवा में,
1. केतन मिरानी
गीवरधन मिरानी के पुत्र, मुख्य उधारकर्ता,
एक भारतीय निवासी, जिनका पता है: फ्लैट नंबर 404, जे विंग, चौथी मंजिल, नीलम नगर बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 11, जे सीएचएसएल टीडी नीलम नगर फेज II, गावनपाड़ा, मुंबई, मुलुंड ईस्ट, मुंबई 400081, महाराष्ट्र.
अन्य पता: हाउस नंबर 4.K, वार्ड नंबर 06, जुन्नारदेव सिनेमा रोड, जुन्नारदेव, जमाल छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश 480551.
कार्यस्थल: ईगल ट्रांस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पता: यूनिट नंबर 201, दूसरी मंजिल, कालियास कॉर्पोरेट लाउंज, पार्क साइट गोदरेज हीरानंदानी, लिंक रोड विक्रोली, मुंबई- 400076, महाराष्ट्र.

एसबीआई एटीएम में चोरी का प्रयास, सायरन बजते ही भागे चोर

सारनी। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के बगडोना स्थित एटीएम में चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक चोर एटीएम में तोड़फोड़ करते नजर आ रहा है। इसी बीच एटीएम में लगे सायरन की आवाज सुनकर चोर भाग निकला। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर की तलाश और जांच शुरू कर दी है। चोरी की इस वारदात से बगडोना व्यापारी संघ में पुलिस के प्रति नाराजगी है। दरअसल व्यापारी संघ द्वारा वर्षों से बगडोना में पुलिस सहायता केंद्र खोलने की मांग की जा रही है। लगभग 400 व्यापारी वाले बगडोना क्षेत्र में नियमित रात्रि पेट्रोलिंग और पुलिस सहायता केंद्र नहीं होने से व्यापारिक क्षेत्र बगडोना में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। इससे व्यापारियों में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि डब्ल्यूसीएल रेसक्यू के सामने स्थित एटीएम में चोरी के प्रयास की घटना रात करीब 2.50 बजे की है। इस संबंध में थाना प्रभारी जयपाल इवनाती ने बताया कि एटीएम में चोरी के प्रयास की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके का जायजा लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है।

नदी पार करते समय बाइक समेत दो ग्रामीण बहे

चिचोली। ऐंथाना क्षेत्र में सोमवार रात चंपा नदी पार करते समय दो ग्रामीण बाइक समेत तेज बहाव में बह गए। मंगलवार सुबह दोनों के शव रपटे से करीब एक किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसे मिले।

जानकारी के अनुसार सिप्लाई निवासी 42 वर्षीय राजेश बिहारे और 40 वर्षीय दद्दू धुर्वे सोमवार शाम देवपुर से सिप्लाई लौट रहे थे। चंपा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से रपटा पानी में डूब गया था। दोनों ने बहते पानी के बीच रपटा पार करने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव में बाइक समेत बह गए। घटना के समय मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें रुकने और पानी कम होने का इंतजार करने की सलाह दी थी, लेकिन वे नहीं माने। हादसे के बाद ग्रामीणों ने रातभर उनकी तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मंगलवार सुबह रपटे से लगभग एक किलोमीटर दूर कुंवर देव टेकड़ा के पास नदी किनारे झाड़ियों में दोनों के शव फंसे हुए मिले। सूचना पर चिचोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिचोली भिजवाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जेबीसीसीआई गठन की मांग को लेकर धरना आज

सारनी। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र में 1 जुलाई को 12 वें वेतन समझौता गठन की मांग को लेकर चार केंद्रीय श्रमिक संगठन धरना, प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करेंगे। यह जानकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा दी गई है।

संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने जेबीसीसीआई गठन की मांग को लेकर बैठक की और 1 जुलाई को सभी कोयला खदानों पर गेट मीटिंग करने के बाद शाम को क्षेत्रीय मुख्यालय पर धरना, प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बैठक में कोयला मजदूरों के 12 वें वेतनमान कमेटी गठन और ब?तरी पर चर्चा हुई। सयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा कोल इंडिया प्रबंधन जल्द ही जेबीसीसीआई (जॉइंट बाइपार्टाइट कमेटी फॉर द कोल इंडस्ट्री) कमेटी का गठन नहीं करता है तो कोयला मजदूर आंदोलन करेंगे। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा केंद्र सरकार द्वारा मजदूर विरोधी लागू की गई चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) का संयुक्त मोर्चा विरोध करता है। श्रम संहिताओं को लागू करने को लेकर मजदूर संगठनों की सहमति नहीं है। इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा इन्हें लागू कर दिया गया, जो मजदूर हित मे नहीं है। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने मजदूर हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर बड़ा संघर्ष करने का आह्वान किया है।

संयुक्त मोर्चे की बैठक मे एटक यूनियन से श्रीकांत चौधरी, ओमकार शुक्ला, एचएमएस से महेंद्र यादव, मनीष सिंह ठाकुर, सीटू से जगदीश डिगरसे, जे. विवेगानन्दन, गणेश गुजरे, इंटक से अतुल सूर्यवंशी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सयुंक्त मोर्चे के पदाधिकारियों ने समस्त कामगारों से आज आयोजित होने वाले धरने में शामिल होकर प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है।

झमाझम बारिश से बदला मौसम, डेम का जल स्तर बढ़ा

सारनी। रात भर से जारी झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार हो रही बारिश से जहां मौसम में ठंडक आई है। वहीं सतपुड़ा डेम का जलस्तर एक फीट तक बढ़ गया है। खबर लिखे जाने तक डेम का जलस्तर 1428.30 फीट था। जबकि सीजन में जल स्तर घटकर 1427.49 सीट तक आ पहुंचा था। पिछले 24 घंटे में सतपुड़ा जलाशय के कैचमेंट एरिया में 14 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसी के साथ बारिश का आंकड़ा बढ़कर 66 मिनी पर पहुंच गया है। यानी की सीजन में अब तक ढाई इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है। जबकि सारनी क्षेत्र में सीजन में सामान्य वर्षा 60 इंच है। जलाशय प्रबंधन के अनुसार जल स्तर 1430 फीट तक पहुंचते ही गेट खोलने शुरू कर दिए जाएंगे।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	33633533 & 50852486	संपत्ति के बदले ऋण	06-Jun-2026	3,26,314.16/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. आत्मा राम 2. कमला प्रजापति

संपत्ति का पता: खसरा नंबर 762/1 में से 540 वर्ग फुट की वह पूरी प्रॉपर्टी, जो पीएच नंबर 05, मौजाः उमरेठ, सर्कल उमरेठ, तहसीलः उमरेठ, ज़िलाः छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश-480441 में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः श्रीमती उमा का घर, पश्चिमः श्री अयूब का घर, उत्तरः C.C. रोड, दक्षिणः P.W.D. रोड।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	33880971	संपत्ति के बदले ऋण	03-Jun-2026	1,51,855.88/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. भुवन लाल सोनी 2. पुष्पा सोनी

संपत्ति का पता: पीएच नंबर 69, क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 35, मौजा ग्राम खपकाला, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में स्थित वह संपत्ति, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः श्री गोविंद का घर, पश्चिमः श्री मणिराम पटेल का घर, उत्तरः बाड़ी, दक्षिणः सीसी रोड।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	47448716 & 108469549	संपत्ति के बदले ऋण	26.02.2026	7,18,609.55/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. चुन्नी लाल माहौर 2. बुधिया माहौर

संपत्ति का पता: संपत्ति/भूमि/भूखंड का वह सारा टुकड़ा और टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1350 वर्ग है। एफटी., पटवारी हल्का नंबर पर स्थित है। 21, खसरा नं. 240/3, बी.एन.ओ. 553, मौजाः सारसवाड़ा, आरएनएम-छिंदवाड़ा-2, तहसीलः छिंदवाड़ा, जिलाः छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश-480001, और इसकी सीमाः पूर्वः सरकारी आम रास्ता, पश्चिमः विक्रेता की भूमि, उत्तरः रेखाभाई का प्लॉट, दक्षिणः विक्रेता की भूमि

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 01.07.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

जनसुनवाई | **कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं**

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का करें त्वरित निराकरण : कलेक्टर

बैतूल। कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं ध्यान पूर्वक सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में प्रभातपट्टन तहसील के ग्राम गोधना निवासी हेमराज ने अनावेदकों द्वारा खेत में आने जाने के लिए रास्ता अवरुद्ध किए जाने की शिकायत की। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने प्रभात पट्टन तहसीलदार को जांच कर आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

पानी की समस्या और सड़क निर्माण के लिए दिया आवेदन : जनसुनवाई में बैतूल तहसील के ग्राम सावंगी निवासी गुलाबराव पाटणकर द्वारा करंजी नाले की दीवाल का मटेरियल उठाने और उनके खेत में जाने का रास्ता दुरुस्त कर नई दीवाल का सही जगह निर्माण करने के आवेदन पर कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी ईई को तत्काल आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। बैतूल के बडोरा निवासी हरिभाऊ पवार सहित अन्य वार्ड वासियों ने मोहल्ले में पानी की समस्या और सड़क निर्माण के लिए आवेदन दिया, जिस पर अपर कलेक्टर ने जनपद सीईओ बैतूल को जांच कर समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। देवगांव निवासी शेख खालिद अहमद द्वारा नौकरी दिलवाने के लिए आवेदन दिया।

कब्जे की भूमि दिलवाने के निर्देश

जनसुनवाई में ग्राम कोयलारी निवासी प्रभाकर धानेकर ने भूमि के नक्शे में सुधार एवं सीमांकन कराए जाने के लिए आवेदन दिया, प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार झल्लार को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम तिवरखेड निवासी सहदेव ने खेत में रिटर्निंग वॉल बनाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर ने प्रभात पट्टन जनपद पंचायत सीईओ को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। भैंसदेही तहसील के ग्राम जावरा महतपुर निवासी संतोष वरकड़े द्वारा कब्जे की भूमि दिलवाने के आवेदन पर कलेक्टर ने तहसीलदार भैंसदेही को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए।